

NOTICE – GENERAL

(No. Ref REG./GEN/72/05 July 2019)

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक सूचना (सत्र 2019-20)

(अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु)


Important Information regarding Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement (2019-20)

(For SC/ST, OBC, GEN, and Minority Students)

सत्र 2019-20 हेतु उ०प्र० शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement) को प्राप्त करने हेतु संशोधित नियमावली 2019 जारी की गयी है। इसके निर्देशानुसार संस्थान में सत्र 2019-20 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शासन से प्रदान की जानी है। इसके लिए पात्र छात्र/छात्राओं को उ०प्र० शासन की वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in के Link पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है तथा शासन द्वारा दी गयी समयसारिणी के अनुसार त्रुटिहीन समस्त आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि के अन्दर संस्थान के कुलसचिव कार्यालय में जमा करना है। शासन के निर्देशानुसार आवेदन पत्र भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया छात्र/छात्राओं द्वारा पूर्ण की जानी है एवं इसमें भरी गयी असत्य एवं गलत सूचना भरने व देने के लिए छात्र/छात्राएँ स्वयं ही जिम्मेदार होंगे तथा ऐसी परिस्थितियों में उ०प्र० शासन द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, पात्रता एवं संलग्न होने वाले आवश्यक प्रपत्र तथा समयसारिणी का विवरण निम्न है।

(क) आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया



(ख) पात्रता

(1) **नवीनीकरण हेतु पात्रता** – विगत वर्ष 2018-19 में आवेदन करने वाले छात्र/छात्राएँ ही सत्र 2019-20 में नवीनीकरण हेतु पात्र होंगे तथा साथ ही विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है शेष पात्रता की शर्तें विगत वर्ष (2018-19) की भाँति ही होंगी। विगत वर्ष सत्र 2018-19 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले सभी उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण करना अनिवार्य है न करने पर उनके विरुद्ध जाँच तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(2) **नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता**–

(क) **अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता** :-

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु उसके परिवार की आय समस्त स्रोतों से 2.5 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए तथा संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में छात्र का साधारण एकल बचत खाता होना आवश्यक है तथा यह खाता आधार से लिंक होना चाहिए। छात्र/छात्रा का प्रवेश काउन्सिलिंग के माध्यम से होना चाहिए।

(ख) **सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता** :-

सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु उसके परिवार की आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विगत सत्र की परीक्षा में 60% अंको में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में छात्र का साधारण एकल बचत खाता होना आवश्यक है तथा यह खाता आधार से लिंक होना चाहिए।


कमशा

(3) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में आवेदन करने वाले सभी छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा (दोनों सेमेस्टर) में बैठना अनिवार्य है तथा कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी यदि छात्रवृत्ति मिल गई और बाद में कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं रखी तो सम्बन्धित विभाग को छात्रवृत्ति वापिस करनी होगी न करने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(4) छात्र/छात्राएँ जो मोबाइल नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करेंगे (भरेगे) वे मोबाइल नम्बर छात्र/छात्रा के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

(ग) आवश्यक संलग्नक

- आवेदन पत्र का संस्था में जमा करने हेतु प्रिन्ट आउट।
- छात्र/छात्राओं के परिवार की समी स्रोतों से आय का आय प्रमाण पत्र, (तहसीलदार द्वारा जारी) तथा नेट वैरिफिकेशन सहित यदि आय प्रमाण पत्र में आय का स्रोत सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लिखा हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी अतिरिक्त रूप में संलग्न करना आवश्यक है।
- तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (केवल SC, ST, & OBC हेतु) नेट वैरिफिकेशन सहित।
- तहसील द्वारा निर्गत छात्र का निवास प्रमाण पत्र नेट वैरिफिकेशन सहित।
- राष्ट्रीयकृत बैंक में छात्र के बचत खाते की पास बुक की फोटो कापी (खाता संस्थान में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की तिवारीगंज शाखा लखनऊ में होना चाहिए)
- संस्थान में जमा की गयी शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- छात्र के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- यू.पी.एस.ई.ई. आवंटन पत्र तथा रैंक लेटर की छाया प्रति।
- हाईस्कूल प्रमाण पत्र।
- इन्टर मार्कशीट/डिप्लोमा मार्कशीट तथा स्नातक कोर्स हेतु स्नातक मार्कशीट।
- सत्र 2018-19 में यदि शिक्षा में अन्तराल है तो इसका शपथ पत्र।
- छात्र द्वारा प्रारूप .1 पर शपथ पत्र (जाति, निवास, शिक्षण संस्थान, विगत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने, बैंक खाता सम्बन्धित विवरण का एक ही शपथ पत्र पर) दिये जाने वाला धोषणा पत्र। प्रारूप कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त करें।
- अभिभावक द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र प्रारूप 2 पर (निवास, आय सम्बन्धित शपथ पत्र) प्रारूप कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त करें।
- छात्र/छात्राएँ इस आश्रय का शपथ पत्र अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर कराके की वें कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थित पूर्ण करेंगे तथा वार्षिक परीक्षा में भी सम्मिलित होगा यदि छात्र/छात्रा 75 उपस्थिति पूर्ण नहीं करता है और वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो शासन से प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग को वापस करेंगे।
- माता तथा पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना है।

(घ) समय सारिणी

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन नवीन आवेदन तथा नवीनीकरण किया जाना	प्रारम्भ 01 जुलाई 2019 से अन्तिम तिथि 10 अक्टूबर 2019 तक
2.	त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों सहित छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	संस्थान में जमा करने हेतु (फाइनल) प्रिन्ट साइट से निकालने के उपरान्त छः कार्य दिवसों के अन्दर बिलम्बतम 16 अक्टूबर 2019 तक
4.	संदेहास्पद डेटा का प्रदर्शित होना व त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना तथा संशोधित आवेदन पत्र को पुनः ऑनलाइन सबमिट किया जाना।	20 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक
5.	त्रुटियों को ठीक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	आवेदन पत्र में त्रुटियों को ठीक करने के उपरान्त नया प्रिन्ट निकाल कर 03 कार्य दिवसों के अन्दर विलम्बतम 03 दिसम्बर 2019 तक संस्थान में जमा करें।

आज्ञा से,

(डा० सतीश चन्द)

कुलसचिव

05/07/2019